दिनांक : 18.08.2022

प्रार्थी/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब हुई। वाद पुकारा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम0एस0 सजवाण द्वारा कथन किया गया कि वह प्रस्तुत वाद में कारित अपराध स्वीकार करना चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रस्तुत मामले में जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया गया। अतः अभियुक्त के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त यशवन्त सिंह को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192क के अन्तर्गत ₹10,000.00 (दस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त 1 माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा जुर्माने की धनराशि अदा की गयी।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार विनष्ट की जाए।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।